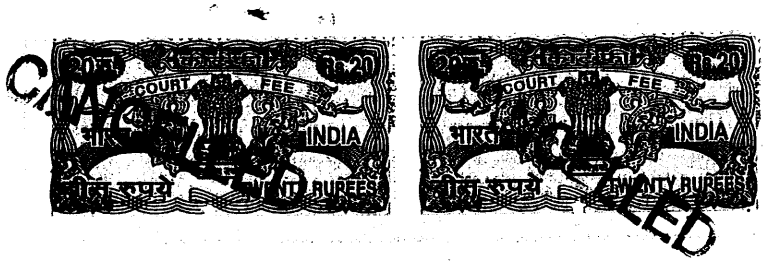

COURT FEE INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED
COURT FEE INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

129

<u>समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)</u>

निग–2255 I–16 प्रस्तुत दिनांक 21/06/16

160

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
22 JUN 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1. श्रीमति विमला बेवा श्री विरधीचंद नायक
आयु लगभग 65 वर्ष, जाति जैन
2. रवि कुमार वल्द स्व. श्री विरधीचंद नायक
आयु लगभग 58 वर्ष, जाति जैन
3. निधि वल्द स्व. श्री विरधीचंद नायक
आयु लगभग 47 वर्ष, जाति जैन
तीनों निवासी– धन्ना पन्ना बिल्डिंग महावीर वार्ड,
सिवनी, थाना, तहसील वा जिला सिवनी (म.प्र.) ––– पुनरीक्षणकर्तागण

<u>विरूद्ध</u>

1. पीतम सिंह वल्द स्व. घसीटा सिंह राजपूत,
आयु लगभग 70 वर्ष, जाति राजपूत
2. श्रीमति नीमा कुमारी पति पीतम सिंह राजपूत
आयु लगभग 65 वर्ष, जाति राजपूत
दोनों निवासी अम्बिका कॉलोनी, सिवनी
थाना, तहसील वा जिला सिवनी (म.प्र.) ––– उत्तरवादीगण

<u>पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959</u>

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवनी की न्यायालय के रा.प्र.क. 10/अ–27/2003–2004, अशोक कुमार बगैरा –विरूद्ध– शासन, में पारित आदेश दिनांक 29.04.2004 के पुर्नविलोकन हेतु प्रस्तुत आवेदन में नायब तहसीलदार सिवनी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के पुर्नविलोकन की अनुमति चाही जिसे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिवनी द्वारा प्रदान ना की अवेदन दिनांक 02.05.16 को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका समय सीमा में प्रस्तुत की जा रही है।

<u>संक्षेप में प्रकरण का सार</u>

बैनामा दिनांक 21.09.1982 के द्वारा विक्रेता श्रीमति सुलोचना बाई बगैरा से क्रेतागण बिरधीचंद एवं अन्य 7, कुल आठ क्रेताओं द्वारा संयुक्त रूप से भूमि खसरा नंबर 44/7 के रकबा 0.959 हेक्ट. में से 0.567 हैक्ट0 मौजा ज्यारत तत्कालीन प.ह.नं. 77/2 तहसील वा जिला सिवनी स्थित सम्पत्ति क्रय कर संयुक्त आधिपत्य एवं संयुक्त स्वामित्व प्राप्त किया। राजस्व प्रकिया के अनुसार क्रेता बिरधीचंद बगैरा की क्रय सम्पत्ति परिवर्तित भूखण्ड क्रमांक 100 रकबा पूर्णांक में 0.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2255/एक/2016 जिला–सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-2-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी के प्रकरण क्रमांक 10/अ–27/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी। जिसमें इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 पारित किया था। इसके पश्चात् अनावेदक पीतमसिंह एवं अन्य के अभिभाषक द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 22.12.2016 को इस आशय से प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 को री–कॉल किया जाये, जिसकी प्रति आवेदक, अभिभाषक को उपलब्ध करायी। तत्पश्चात उनके द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें बताया गया कि पूर्व पारित आदेश को री–कॉल किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, तत्पश्चात अनावेदक पीतमसिंह के अभिभाषक द्वारा एक नया आवेदन पत्र धारा 32 भू–राजस्व संहिता, सहपठित आदेश 6–17 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये और आवेदन पत्र स्वीकार कर री–कॉल आवेदन पत्र को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 पुर्नाविलोकन में संशोधन किये जाने के आदेश दिये गये। 2– आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पुर्नविलोकन की अनुमति दिये जाने का आदेश पारित किया है। जो निरस्ती योग्य है, तर्क के समर्थन में 2000 आर.एन. 76 उच्च न्या.	

2007 आर.एन 77, 1985 जे.एल.जे. 167, 1987 जे.एल.जे 536, 2000 आर.एन 161, 1986 आर.एन 1, 1969 आर.एन. 144, 1978 जे.एल.जे 769 एवं 2011 आर.एन. 310 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये।

3– अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है, कि अनुविभागीय अधिकारी सिवनी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक कारण वर्तमान प्रकरण में नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 18.10.2016 उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है इसलिये उपरोक्त आदेश अपास्त कर उन्हे निगरानी प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाये।

4– उभयपक्षों के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 का अवलोकन किया गया। अनावेदक पीतमसिंह के अभिभाषक द्वारा अपने आवेदन पत्र में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है कि दिनांक 19.09.2016 को सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में अभिभाषकों की हड़ताल थी। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा तारीख पेशी बाबू से पूछकर चले गये थे। तत्पश्चात् प्रकरण में पेशी दिनांक 20.09.2016 नियत कर दी गयी और उक्त दिनांक को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश दिनांक 18.10.2016 पारित कर दिया गया। इस न्यायालय के अभिलेख में अनावेदक पीतमसिंह के अभिभाषक श्री मुकेश भटेले का अभिभाषक पत्र लगा हुआ है। जिसमें कार्यालय का कोई प्रस्तुती दिनांक अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदक द्वारा अपना अभिभाषक पत्र किस दिनांक को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण में अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। ऐसी स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। बल्कि पुर्नाविलोकन का आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया है, जो किसी भी स्थिति में विचार योग्य नहीं है। क्योंकि पुर्नाविलोकन हेतु संहिता की धारा 51 में निम्न आधार बताये गये है कि– 1. किसी नयी और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण। अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र उपरोक्त आधारों के अनुसार नहीं होने से प्रचलन योग्य नहीं है जहॉ तक प्रकरण के गुण दोषों का प्रश्न है तो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी द्वारा पुर्नाविलोकन का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 पारित कर अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी को निर्देशित किया गया कि वह पुर्नाविलोकन की कार्यवाही उभयपक्षों को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान करते हुए बंटवारा प्रकरण का यथाशीघ्र निराकरण करें। ऐसी स्थिति में अनावेदक को अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2000 आर.एन. 76 में उल्लेख किया है, कि भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (म.प्र.) –धारा 51 परंतुक (एक) – पुर्नविलोकन के लिये मण्डल अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी – दूसरे पक्ष को सूचना और सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रदान नहीं की जा सकती। उपरोक्त न्यायदृष्टांत पर विचार किये बिना जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी सिवनी द्वारा पारित किया गया है, वह त्रुटि पूर्ण है, और उसे स्थिर नही रखा जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक कारण नहीं है।

सदस्य